रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1993/माघ 21, 1914
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1993/MAGHA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मात्रिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1993

का. आ. 98 (अ) —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) दूसरा (संशोधन) आदेश, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खंड 4 के उपखंड (1) में विद्यमान सब (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सब और तत्स्थानी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

नगरों के प्रवर्ग	निवटनों में स्टाक सीमा	
	थोक विक्रेता के लिए	फुटकर विक्रेता के लिए
"1 दाले प्रवर्ग "क" नगर	2000	50 सभी दाले
प्रवर्ग "ख" नगर	1000	40 कुल मिला-
अन्य क्षेत्र	1000	40 कर"।

[सं. 14(4)/92-ई. सी. आर एंड ई.]

बी. एन. बहादुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश का. आ सं 780 (अ) तारीख 21-11-1977 द्वारा अधिसूचित किया गया और उसमे निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए —

का आ स 64 (अ) दिनांक 4-2-1978
का आ स 400 (अ) दिनांक 26-6-1978

का. आ. सं. 536 (अ) दिनांक 20-9-1979
का. आ. सं. 10 (अ) दिनांक 7-1-1982
का. आ. सं. 740 (अ) दिनांक 17-10-1983
का. आ. सं. 465 (अ) दिनांक 14-6-1985
का. आ. सं. 696 (अ) दिनांक 30-9-1986
का. आ. सं. 691 (अ) दिनांक 13-7-1987
का. आ. सं. 833 (अ) दिनांक 13-9-1987
का. आ. सं. 983 (अ) दिनांक 12-11-1987
का. आ. सं. 992 (अ) दिनांक 18-11-1987
का. आ. सं. 1052 (अ) दिनांक 10-12-1987
का. आ. सं. 211 (अ) दिनांक 26-2-1988
का. आ. सं. 595 (अ) दिनांक 21-6-1988
का. आ. सं. 750 (अ) दिनांक 11-8-1988
का. आ. सं. 1063 (अ) दिनांक 18-11-1988
का. आ. स. 3 (अ) दिनांक 2-1-1989
का. आ. सं. 230 (अ) दिनांक 28-3-1989
का. आ. सं 351 (अ) दिनांक 10-5-1989
का. आ. सं 634 (अ) दिनांक 11-8-1989
का. आ. सं. 1035 (अ) दिनांक 13-12-1989
का. आ. सं. 256 (अ) दिनांक 26-3-1990
का. आ. सं. 331 (अ) दिनांक 18-4-1990
का. आ. सं. 505 (अ) दिनांक 22-6-1990
का. आ. सं. 711 (अ) दिनांक 13-9-1990
का. आ. सं. 223 (अ) दिनांक 26-3-1991
का. आ. सं. 485 (अ) दिनांक 26-7-1991
का. आ. सं. 298 (अ) दिनांक 27-4-1992
का. आ. सं. 332 (अ) दिनांक 14-5-1992
का. आ. सं. 612 (अ) दिनांक 10-8-1992
का. आ. सं. 730 (अ) दिनांक 1-10-1992
का. आ. सं 93 (अ) दिनांक 8-2-1993

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1993

S.O. 98(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, namely:—

1. (1) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Second (Amendment) Order, 1993.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, in clause 4, in sub-clause (1), for the existing item (i) and the entries relating thereto the following item and corresponding entries shall be substituted, namely:—

Category of Cities	Stock limits in quintals in case of Wholesaler	Retailer	
"(i) Pulses Category A Cities	2000	50	All Pulses
Category B Cities	1000	40	taken
Other Areas	1000	40	together"

[No. 14(4)/92-ECR&E]
B.N. BAHADUR, Jt. Secy.

Note :—The principal order was notified in the Gazette of India, vide order No. S.O. 780 (E), dated 21.11.1977 and subsequently amended by :—
S.O. No. 64(E) dated 4-2-1978
S.O. No. 400(E) dated 26-6-1978
S.O. No. 536 (E) dated 20-9-1979
S.O. No. 10(E) dated 7-1-1982
S.O. No. 740(E) dated 17-10-1983
S.O. No. 465(E) dated 14-6-1985
S.O. No. 696(E) dated 30-9-1986
S.O. No. 691(E) dated 13-7-1987
S.O. No. 833(E) dated 13-9-1987
S.O. No. 983(E) dated 12-11-1987
S.O. No. 922(E) dated 18-11-1987
S.O. No. 1052(E) dated 10-12-1987
S.O. No. 211(E) dated 26-2-1988
S.O. No. 595(E) dated 21-6-1988
S.O. No. 750(E) dated 11-8-1988
S.O. No. 1063(E) dated 18-11-1988
S.O. No. 3(E) dated 2-1-1989
S.O. No. 230(E) dated 28-3-1989
S.O. No. 351(E) dated 10-5-1989
S.O. No. 634(E) dated 11-8-1989
S.O. No. 1035(E) dated 13-12-1989
S.O. No. 256(E) dated 26-3-1990
S.O. No. 331(E) dated 18-4-1990
S.O. No. 505(E) dated 22-6-1990
S.O. No. 711(E) dated 13-9-1990
S.O. No. 223(E) dated 26-3-1991
S.O. No. 485(E) dated 26-7-1991
S.O. No. 298(E) dated 27-4-1992
S.O. No. 332/E) dated 14-5-1992
S.O. No. 612(E) dated 10-8-1992
S.O. No. 730(E) dated 1-10-1992
S O. No. 93(E) dated 8-2-1993

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993